



जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
(सामान्य शाखा)

क्रमांक 326...../सा०

दिनांक :-16.12.2021

संवेदक निबंधन हेतु चरित्र प्रमाण-पत्र

अनुमण्डल पदाधिकारी, नोवामुण्डा का पत्रांक : 450/सा० / दिनांक 09.12.2021

एवं पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का ज्ञापांक : 735/सा० दिनांक 28.10.2021 से प्राप्त

जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री अरुण कुमार गुप्ता

पितो/पति/स्व०/श्री द्वेदी लाल गुप्ता, पता/ग्राम महुडी, नोवामुण्डा बाजार

पोस्ट- नोवामुण्डा थाना- नोवामुण्डा, जिला-पश्चिमी सिंहभूम के स्वायी

निवासी हैं। इनके विरुद्ध थाना अभिलेख में किसी तरह का शिकायत अंकित नहीं है।

यह प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा।



16.12.2021

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।



जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
(सामान्य शाखा)

क्रमांक 324...../सा०

दिनांक :- 16.12.2021

संवेदक निबंधन हेतु चरित्र प्रमाण-पत्र

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर चाईबासा का पत्रांक : 851/सा० / दिनांक 07.12.2021

एवं पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का ज्ञापक : 716/सा० दिनांक 20.10.2021 से प्राप्त

जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री वेदान्त खिरवाल

पिता/पति/स्व०/श्री पवन कुमार खिरवाल पता/ग्राम 147, सदर बाजार चाईबासा

पोस्ट- चाईबासा थाना- सदर चाईबासा जिला-पश्चिमी सिंहभूम के स्थानीय

निवासी हैं। इनके विरुद्ध थाना अभिलेख में किसी तरह का शिकायत अंकित नहीं है।

यह प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा।



16.12.2021
जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।



जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
(सामान्य शाखा)

क्रमांक 325...../सा०

दिनांक :-16.12.2021

संवेदक निबंधन हेतु चरित्र प्रमाण-पत्र

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर-चाईबासा का पत्रांक : 852/सा० दिनांक 07.12.2021
एवं पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का ज्ञापांक : 727/सा० दिनांक 25.10.2021 से प्राप्त
जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री विक्रम खिरवाल
पिता/पति/स्व०/श्री किशोरी लाल खिरवाल पता/ग्राम 14, मधु बाजार-चाईबासा
पोस्ट-चाईबासा थाना-सदर-चाईबासा जिला-पश्चिमी सिंहभूम के स्थानीय
निवासी हैं। इनके विरुद्ध थाना अभिलेख में किसी तरह का शिकायत अंकित नहीं है।

यह प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा।



16.12.2021
जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।